न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 10/14 निर्णय दिनांकः—10-2-2020
(आरसीएमएस संख्या 2015/00208)

1. जगन्नाथ पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी सोमलसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. किशनाराम पुत्रगण पुरखाराम जाति जाट निवासी सोमलसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. बेगाराम
3. पानी पत्नि जेठाराम
4. रामदयाल पुत्र जेठाराम
5. भींयाराम
6. दिनेश
7. दुर्गा पुत्री जेठाराम
8. विमला पुत्री जेठाराम
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 06—06—2013
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितः—
1. श्री लक्ष्मीनारायण सियाग, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री बहादुरराम सुथार, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 06—06—2013 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीके से प्राथमिक डिक्री जारी की गई है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वाके रोही सोमलसर के खेत खसरा नम्बर 479 रकबा 4.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 480 रकबा 4.00 हेक्टर, खसरा नम्बर 578 रकबा 5.81 हेक्टर, खसरा नम्बर 665/434 रकबा 4.37 हेक्टर, खसरा नम्बर 666/36 रकबा 0.13 हेक्टर कुल किता 5 रकबा 18.71 हेक्टर तथा ग्राम दासनूँ के खेत खसरा नम्बर 236 रकबा 2.00 हेक्टर, खसरा नम्बर 237 रकबा 18.94 हेक्टर कुल किता 2 तादादी 20.94 हेक्टर बाबत् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अपीलांट् की गैर हाजरी में दिनांक 06–06–2013 को दावा एकतरफा तौर पर डिक्री किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए फाईनल डिक्री के प्रस्ताव आंमत्रित कर दिये गये। तथा कालान्तर में अपीलांट की अनुपस्थिति में ही फाईनल डिक्री पारित कर दी गई।अदालत मातहत द्वारा आदेश व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

अदालत मातहत के आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा दिनांक 14–05–2009 को समन जारी किये गये। उक्त समन की पुष्ट पर रिपोर्ट अंकित है कि साहिल द्वारा नोटिस लने से इंकार किया गया। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि उक्त नोटिस कभी भी अपीलांट्स पर तामील ही नहीं करवाये गये है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा राजस्व अमला से मिलीभगत करते हुए तमाम कार्यवाही की गई है।

इसप्रकार अदालत मातहत द्वारा सिविल प्रकिया संहिता में उल्लेखित नियमों की पालना नहीं की गई है। अदालत मातहत द्वारा तमाम कानूनी प्रकियाओं को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा एकतरफा तौर पर अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है, जबकि अदालत मातहत द्वारा स्वमेव अपने आदेश में अंकित किया है कि वादगत् भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज की जावे। इस प्रकार अदालत मातहत के समक्ष यह तथ्य भलींभांति प्रकट थे कि अपीलांट्स वादगत् भूमि के एक संयुक्त खातेदार है। ऐसी स्थिति में बिना उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये आदेश जैर अपील पारित किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने मियांद के संबंध में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का

अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेशों पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट् की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1980 पेज 353, आरआरटी 2014–15 स्प. पेज 429, आरआरडी 1983 पेज 1910, आरआरडी 1984 पेज 862, आरआरडी 1992 पेज 517 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि जिसके विभाजन के बाबत् दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों के आधार पर इस्तदुआ किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड समन तलब किया गया। अदालत मातहत द्वारा जारी समनों के बावजूद अपीलांट् व अन्य रेस्पोडेन्ट्रान द्वारा अदालत मातहत द्वारा दावे में प्राथमिक डिक्री इस आश्य की जारी की गई कि वादी एवं प्रतिवादीगण व समस्त सह खातेदारान का हिस्सा व मौके पर कब्जा अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार, बीकानेर प्रस्तुत करें।

इसप्रकार अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि का विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस व संबंधित तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तैयार करते हुए पक्षकारों के धारण की भूमि व अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव तैयार प्रस्तुत किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 06–06–2013 को पारित किया गया था जिसके विरूद्व अपील दिनांक 27–01–2014 को प्रस्तुत की गई है अर्थात अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के करीब आठ माह उपरान्त अपील प्रस्तुत की गई है। जबकि मियांद के मामलें में दिन–प्रतिदिन के डिले को explain करना अपरिहार्य है। प्रकरण में यह निर्विवाद है कि अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में सभी पक्षकारों के हिस्से व कब्जे के अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए विभाजन के प्रस्ताव तहसीलदार, बीकानेर को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में वादीगण/रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि वाके रोही सोमलसर के खेत खसरा नम्बर 479 रकबा 4.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 480 रकबा 4.00 हेक्टर, खसरा नम्बर 578 रकबा 5.81 हेक्टर, खसरा नम्बर 665/434 रकबा 4.37 हेक्टर, खसरा नम्बर

666/36 रकबा 0.13 हेक्टर कुल किता 5 रकबा 18.71 हेक्टर तथा ग्राम दासनूँ के खेत खसरा नम्बर 236 रकबा 2.00 हेक्टर, खसरा नम्बर 237 रकबा 18.94 हेक्टर कुल किता 2 तादादी 20.94 हेक्टर भूमि के बाबत् दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों के आधार पर बंटवारें की इस्तदुआ विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया। उक्त दावे में अदालत मातहत द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए सभी सह खातेदारों के हिस्से व मौके पर कब्जे के अनुसार विभाजन के प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार, बीकानेर को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट् द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि एक संयुक्त खातेदारी की भूमि रही है। वादीगण द्वारा मात्र खाता विभाजन का अनुतोष चाहे जाने पर खाता विभाजन हेतु वर्तमान जमाबन्दी व शेष सह खातेदारान के हक व हिस्से के अनुसार तहसीलदार, नोखा को वादगत् भूमि के बाबत् पक्षकारों के हिस्से की भूमि के अनुसार व कब्जे काश्त के अनुसार खाता विभाजन के प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

(3) विभाजन के मामलों में यह देखा जाना अनिवार्य होता है कि क्या वादगत् भूमि के विभाजन से पूर्व सभी पक्षकारों के कब्जे काश्त व उनके धारण की भूमि का ध्यान रखते हुए विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा तैयार किया गया है अथवा नहीं? प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए सभी पक्षकारों के हिस्सा व मौके पर कब्जा अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् अपीलाधीन आदेश से किस प्रकार व्यथित है यह साबित करने में असफल रहे है। केवल मात्र तकनीकी बिन्दु के आधार पर प्रकरण को पुनः अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 06—06—2013 उपखण्ड अधिकारी, नोखा यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 10/2/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.02.24 16:51:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: